B.COM. PART-I

SCHEME OF EXAMINATION

		Max. Marks	Min. Marks
I. Environmental Studies	75	100 Subject	33
Field Work	25		
A. FOUNDATION COURSE			
I. Hindi Language - I		75	26
II. English Language - II		75	26

नोट : प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्न हल करने होगे । सभी प्रश्न समान अंक के होंगे।

B. THREE COMPULSORY ROUPS			
GROUP - I			
Accounting:			
I. Financial Accounting-I	75		
II. Business Mathematics-II	75	150	50
GROUP - II			
Business Management:			
III. Business Communication-I	75		
IV. Business Reg. Framework-II	75	150	50
GROUP - III			
Applied Economics:			
I. Business Environment-I	75		
II. Business Economics-II	75	150	50

USE OF CALCULATORS

The students of Degree/P.G. Classes will be permitted to use of Calculators in the examination hall from annual 1986 examination on the following conditions as per decision of the standing committee of the Academic Council at its meeting held on 31-1-1986.

Part - I

SYLLABUS FOR ENVIRONMENTAL STUDIES AND HUMAN RIGHTS

(Paper code-0828)

MM. 75

इन्वारमेंटल साईंसेस के पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर भाग–एक की कक्षाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से शिक्षा सत्र 2003–2004 (परीक्षा 2004) से प्रभावशील किया गया है। स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा भी अनिवार्य रूप से अंगीकृत किया जाएगा।

भाग 1, 2 एवं 3 में से किसी भी वर्ष में पर्यावरण प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तभी उपाधि प्रदाय योग्य होगी।

पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा, जिसमें से 75 अंक सैद्धांतिक प्रश्नों पर होंगे एवं 25 अंक क्षेत्रीय कार्य (Field Work) पर्यावरण पर होंगे।

सैद्धांतिक प्रश्नों पर अंक – 75 (सभी प्रश्न इकाई आधार पर रहेंगे जिसमें विकल्प रहेगा)

(अ)	लघु प्रश्नोंत्तर	–	25 अंक
(ब)	निबंधात्मक	–	50 अंक

Field Work – 25 अंकों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन पद्धति से कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा। अभिलेखों की प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के समान संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सुरक्षित रखेंगे।

उपरोक्त पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षा का आयोजन वार्षिक परीक्षा के साथ किया जाएगा।

पर्यावरण विज्ञान विषय अनिवार्य विषय है, जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर स्नातक स्तर भाग–एक के छात्र/छात्राओं को एक अन्य विषय के साथ पूरक की पात्रता होगी। पर्यावरण विज्ञान के सैद्धांतिक एवं फील्ड वर्क के संयुक्त रूप से 33: (तैंतीस प्रतिशत) अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होंगे।

स्नातक स्तर भाग–एक के समस्त नियमित/भूतपूर्व/अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को अपना फील्ड वर्क सैद्धांतिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् 10 (दस) दिनों के भीतर संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे एवं महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्र अधिक्षक, परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकृत रहेंगे तथा फील्ड वर्क जमा होने के सात दिनों के भीतर प्राप्त अंक विश्वविद्यालय को भेजेंगे।